वन स्टेट -वन इलैक्शन : नवम्बर तक कार्यकाल पूरा होने वाले पंचायत व निकाय के चुनाव एक साथ होंगे

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट ने ओबीसी आयोग की सिफारिशें स्वीकार कीं

- कैबिनेट ने प्रदेश में एग्रो प्रोसेसिंग नीति - 2026, का अनुमोदन किया।
- सरकारी कर्मचारियों को अब राज्य बीमा का लाभ सेवानिवृत्ति की अंतिम तारीख तक मिलेगा।

जयपुर, 7 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें सरकारी कर्मचारियों, मजदूरों और पंचायत-निकाय चुनाव से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, कानून मंत्री जोगाराम पटेल और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसलों की जानकारी दी।

कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि कैबिनेट ने ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट का अनुमोदन भी किया। उन्होंने कहा, सरकार शुरू से ही "वन स्टेट वन इलेक्शन" की अवधारणा के पक्ष में रही है। हमने बजट में भी इसकी घोषणा की थी। कैबिनेट ने एक बार फिर इसी अवधारणा को दोहराया। उसी के अनुरूप हम इस साल पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, जिन पंचायत और निकाय का कार्यकाल पूरा हो गया है और जिनका नवंबर तक पूरा होना है, उन सभी के चुनाव एक साथ होंगे। चुनावों को लेकर कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं, उनकी भी पूरी पालन की जाएगी। ओबीसी आयोग की सिफारिशें स्वीकार करते हुए स्थानीय निकायों एवं पंचायत राज संस्थाओं में ओबीसी आरक्षण के लिए अब लॉटरी प्रक्रिया शुरू होगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड ने बताया, कैबिनट ने राज्य मजदूरी संहिता 2026 को मंजूरी दी है। इसमें मजदूर का वेतन तय करने के लिए वैज्ञानिक पद्धित अपनाई जाएगी। साल में 2 बार (1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को) वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। इसके साथ ही, कर्मचारियों को सैलरी स्लिप देना भी अनिवार्य होगा। मजदूर से सप्ताह में 48 घंटे ही काम लिया जा सकेगा। 5 घंटे के काम के बाद आधे घंटे आराम देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों को अब राज्य बीमा का लाभ सेवानिवृत्ति की अंतिम तारीख तक मिलेगा। अभी तक सेवानिवृत्ति के साल में 1 अप्रैल तक ही यह लाभ मिलता था।

कैबिनेट बैठक में एग्रो फूड प्रोसेसिंग नीति-2026 का अनुमोदन किया गया। प्रदेश में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों-उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए यह नई नीति लाई गई है।

नीति के तहत, प्रदेश में नई एग्रो इंडस्ट्री स्थापित करने वाले उद्यमियों और निवेशकों को सरकार की ओर से विशेष छूट और प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। कैबिनेट ने "ट्री" आउटसाइड पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। "मिशन हरियालो राजस्थान" के तहत हर साल 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। नदी, नालों और सड़क के किनारों पर पेड़ लगाए जाएंगे।

प्र.मंत्री ने एनडीए में शामिल नए सांसदों से चाय पर चर्चा की

- सुबह के नाश्ते पर हुई इस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने सांसदों से कई मुद्दों पर चर्चा की

नई दिल्ली, 07 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल हुए लोकसभा के सांसदों से नाश्ते पर मुलाकात की। इस मुलाकात में शिवसेना (शिंदे) के 7, एनसीपीआई के 20, एनसीपी (अजीत पवार) के 2, उपेन्द्र कुशवाहा समेत, करीब 45 सांसद शामिल हुए। इस दौरान राजग में शामिल हुए सभी नए सांसदों को प्रधानमंत्री ने संसद में सक्रिय रूप से भाग लेने और स्वास्थ्य सहित कई मुद्दों पर बात की। प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों को आगे बढ़ ने के लिए सत्ता के प्रभावी इस्तेमाल की सलाह दी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में किसी भी विकास कार्य के लिए सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से संपर्क करें।

प्रधानमंत्री ने प्रत्येक सांसद से व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर उनका हाल-चाल जाना।

फ़र्ज़ी एडमिट कार्ड से फिज़िकल परीक्षा देने पहुंची युवती गिरफ्तार

एसआई की शारीरिक दक्षता परीक्षा के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच में युवती पकड़ी गई

- उत्तर प्रदेश निवासी मोहिता लिखित परीक्षा में असफल रही थी। फ़र्ज़ी एडमिट कार्ड में दर्ज रोल नंबर वाले अभ्यर्थी की फिज़िकल परीक्षा 5 अगस्त को उदयपुर में हो चुकी थी।

जयपुर, 7 अगस्त। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2025 के फिजिकल टेस्ट में फर्जीवाडे का मामला सामने आया है। चित्रकूट थाना पुलिस ने शुक्रवार को शारीरिक दक्षता परीक्षा देने पहुंची एक फेक कैंडिडेट को राउंडअप किया है। युवती एडिट कर तैयार किए गए फर्जी एडमिट कार्ड के आधार पर फिजिकल परीक्षा देने पहुंची थी।

डीसीपी (वेस्ट) प्रशांत किरण ने बताया कि पकड़ी गई युवती की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी मोहिता (27) के रूप में हुई है। सब इंस्पेक्टर भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन चित्रकूट स्टेडियम में किया जा रहा था। शुक्रवार सुबह चयनित अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड की जांच के दौरान युवती के दस्तावेजों पर पुलिस को संदेह हुआ।

जांच में सामने आया कि एडमिट कार्ड पर दर्ज रोल नंबर एक ऐसे अभ्यर्थी का था, जो परीक्षा में सफल हो चुका था। जब रिटर्न परीक्षा के रिकॉर्ड की जांच की गई तो मोहिता के एडमिट कार्ड के फर्जी होने का खुलासा हुआ।

पुलिस जांच में सामने आया कि जिस रोल नंबर का इस्तेमाल कर फर्जी एडमिट कार्ड तैयार किया गया था, उस अभ्यर्थी की फिजिकल परीक्षा 5 अगस्त को उदयपुर में हो चुकी थी। ?

पूछताछ में युवती ने बताया कि उसने साइबर कैफे से सफल अभ्यर्थियों की सूची हासिल कर रोल नंबर लिया और उसमें बदलाव कर अपना एडमिट कार्ड तैयार किया।

पुलिस के अनुसार, मोहिता जयपुर के चित्रकूट नगर में रहकर एसआई भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही थी। लिखित परीक्षा में असफल होने के बावजूद, उसने यह बात अपने परिजनों को नहीं बताई और परीक्षा पास करने की जानकारी देती रही।

परिजनों को विश्वास दिलाने के लिए वह जयपुर में ही रिश्तेदारों के साथ रह रही थी और एसआई भर्ती के फिजिकल टेस्ट की तैयारी का बहाना बनाकर चित्रकूट स्टेडियम में दौड़ लगाने भी जाती थी। पुलिस आरोपी युवती से पूछताछ कर रही है और फर्जी एडमिट कार्ड तैयार करने में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने 40 साल पुराने बोफोर्स मामले को बंद किया

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुजा ब्रदर्स को बरी करने के खिलाफ दायर आखिरी अपील भी खारिज कर दी

- वर्ष 1986 में हुआ यह रक्षा सौदा 40 साल तक भारतीय राजनीति का केन्द्र बना रहा और इसकी वजह से स्व. राजीव गांधी की सरकार तक चली गई थी।

नई दिल्ली, 07 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुजा ब्रदर्स को बरी करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के 2005 के फैसले के खिलाफ दायर अंतिम अपील को भी खारिज कर दिया है। इसके साथ ही, भारत के सबसे चर्चित और लंबे समय तक चलने वाले भ्रष्टाचार के मामलों में से एक बोफोर्स कांड का कानूनी अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया है।

मामले में जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस विनोद के. चंद्रन की बेंच ने याचिकाकर्ता (अधिवक्ता अजय के. अग्रवाल) की स्थगन की मांग को ठुकराते हुए मामले की आखिरी याचिका को खारिज कर दिया। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भी इस मामले में अपील की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ही देरी के आधार पर खारिज कर दिया था। 1986 में हुए इस रक्षा सौदे का विवाद लगभग 40 साल तक अदालतों और भारतीय राजनीति के केन्द्र में रहा।

यह पूरा मामला 24 मार्च 1986 को भारत सरकार और स्वीडिश कंपनी एबी बोफोर्स के बीच हुए 1,437 करोड़ रुपये के उस समझौते से जुड़ा है, जिसके तहत भारतीय सेना के लिए 400 हॉवित्जर तोपें खरीदी जानी थीं। साल 1987 में स्वीडिश रेडियो ने यह सनसनीखेज खुलासा किया कि इस सौदे को हासिल करने के लिए भारतीय राजनेताओं और रक्षा अधिकारियों को अवैध कमीशन दिए गए थे। इस खुलासे ने भारतीय राजनीति में तहलका मचा दिया था। राजीव गांधी सरकार पर गंभीर सवाल उठे और 1989 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की हार का इसे एक बड़ा कारण माना गया।

सीबीआई ने जनवरी 1990 में एफआईआर दर्ज की। अक्तूबर 2000 में दायर की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हिंदुजा बंधुओं (श्रीचंद, गोपीचंद और प्रकाश हिंदुजा) के नाम भी शामिल किये गये थे।

दिल्ली हाईकोर्ट ने 31 मई 2005 को अपने फैसले में हिंदुजा ब्रदर्स और स्वीडिश फर्म एबी बोफोर्स के खिलाफ चल रही सभी आपराधिक कार्यवाहियों को रद्द कर दिया था। साथ ही, हाईकोर्ट ने सीबीआई की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए यह भी टिप्पणी की थी कि इस जांच पर सरकारी खजाने के करीब 250 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं।

सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने इस मामले के लंबे खिंचने पर हैरानी जताई। जब याचिकाकर्ता के वकील ने कुछ मृत प्रतिवादियों के नाम हटाने के लिए चार हफ्ते का समय मांगा, तो जस्टिस पारदीवाला ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा, हिंदुजा ब्रदर्स और सीबीआई को लेकर यह सब क्या चल रहा है? सभी कार्यवाही रद्द हो चुकी हैं, यह क्या है? कितने साल बीत चुके हैं? बेंच ने स्पष्ट कर दिया कि अब इस मामले में और देरी या सुनवाई की कोई गुंजाइश नहीं है।

दिल्ली में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त

मौसम विभाग ने भारी बारिश का रैड अलर्ट भी जारी किया

- भारी बारिश के कारण मकान ढहने, इमारतों के हिस्से गिरने, पेड़ उखड़ने की दो दर्ज़न से अधिक शिकायतें मिली हैं, हालांकि, इनमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

नई दिल्ली, 07 अगस्त। दिल्ली-एनसीआर में सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। नोएडा, गुरुग्राम तक कई इलाके जलमग्न हैं। सड़कों पर ट्रैफिक रेंग रहा है। इस सबके बीच मौसम विभाग ने पूरे दिल्ली-एनसीआर के लिए एक और चेतावनी जारी कर दी है। आईएमडी ने दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।

आईएमडी ने दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए अनुमान लगाया है कि अगले कुछ घंटों में कई जगहों पर मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश के साथ-साथ मध्यम आंधी और बिजली कड़कने की संभावना है। आईएमडी ने दिल्ली और एनसीआर के निवासियों को सलाह दी है कि वे यात्रा करते समय सावधानी बरतें और जलज़माव वाले इलाकों से बचें, क्योंकि पूरे इलाके में भारी बारिश जारी है।

दिल्ली में भारी बारिश के बीच दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) को मकान ढ हने, इमारतों के हिस्से गिरने और पेड़ उखड़ने की दो दर्जन से ज्यादा सूचनाएं मिलीं। इन घटनाओं में कोई हताहत नहीं हुआ है। अग्निशमन विभाग के अनुसार, गुरुवार को आधी रात 12 बजे से शुक्रवार को शाम 5:30 बजे के बीच लगातार बारिश के दौरान ये सूचनाएं दर्ज की गईं। इसने बताया कि एक घटना में, एक मकान पर पेड़ गिर जाने से उसमें तीन महिलाएं फंस गईं, जिन्हें अग्निशमनकर्मियों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दमकल विभाग ने बताया कि इनमें से नौ सूचनाएं मकान पूरी तरह ढ हने या इमारतों का हिस्सा गिरने से संबंधित थीं।

गुरुग्राम से लेकर दिल्ली-नोएडा तक सड़कों पर जाम लग गया है। सोशल मीडिया पर लोग शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें कैब तक नहीं मिल पा रही है। जलभराव की वजह से लोग फंस गए हैं। पीक आवर्स में बारिश की वजह से समस्या और ज्यादा बढ़ गई है।

मौसम वैज्ञानिक नवदीप दहिया ने कहा है कि उत्तर-पश्चिम यूपी से भारी बारिश वाले बादल देर रात तक दिल्ली-एनसीआर में दाखिल होंगे। दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद में अभी हो रही भारी बारिश का दौर रात 9 बजे तक जारी रहेगा। इसके बाद बारिश कम होने की उम्मीद है, लेकिन आधी रात तक हल्की बारिश होती रहेगी।

हाई कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

व 150 दिन की अवधि तक गौवंश के नहीं रहने के बावजूद, पूर्ण अवधि की सहायता राशि ली गई।

याचिका में आरोप लगाया कि नियमों के विपरीत जाकर यहां "सुरभि सदन" नाम से मैरिज गार्डन संचालित किया जा रहा है और गौशाला के पीछे बहने वाले नाले के दूषित जल का उपयोग चारा और फसल उगाने के लिए किया जा रहा है, जिससे गायों के साथ-साथ उनके दूध से आमजन का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है।

वहीं, यहाँ कार्यरत करीब 20 श्रमिकों पर श्रम कानून लागू नहीं किया जा रहा है।

सुनेत्रा पवार की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चाहिए।" सुनेत्रा पवार की एनसीपी महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ भाजपा की सहयोगी है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना महायुति की तीसरी प्रमुख सहयोगी पार्टी है। भाजपा मंत्री ने आगे कहा, "उन्होंने प्रशांत किशोर से मुलाकात क्यों की, इस पर मुझे और कुछ नहीं कहना है। लेकिन ऐसा कोई आचरण नहीं होना चाहिए, जिससे गठबंधन के भीतर अविश्वास या दरार की स्थिति पैदा हो।" एनसीपी के पदाधिकारी संजय खोडके ने बताया कि प्रशांत किशोर ने दक्षिण मुंबई स्थित सुनेत्रा पवार के आधिकारिक आवास देवगिरि में उनसे मुलाकात की। हालांकि, एनसीपी नेता पवार की ओर से इस बैठक में हुई बातचीत के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की गई। इस वर्ष जनवरी में बारामती के निकट विमान दुर्घटना में सुनेत्रा पवार के पति तथा तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद यह दूसरा अवसर है, जब प्रशांत किशोर ने उनसे मुलाकात की है। इससे कुछ महीने पहले हुई पहली मुलाकात के बाद सुनेत्रा पवार के पुत्र और एनसीपी नेता पार्थ पवार ने कहा था कि प्रशांत किशोर उनके परिवार के परिचित हैं। ज्ञातव्य है कि प्रशांत किशोर इससे पहले नरेन्द्र मोदी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल सहित कई प्रमुख नेताओं के लिए सफल चुनावी रणनीतियां तैयार कर चुके हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट की रायः शहर के बीच में प्रदर्शन नहीं

नई दिल्ली, 07 अगस्त। दिल्ली हाई कोर्ट ने जंतर-मंतर पर 10 अगस्त को प्रस्तावित दलित ईसाइयों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति देने का फैसला दिल्ली पुलिस पर छोड़ दिया है। कोर्ट ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है, इसलिए वही इस पर फैसला करेगी। जस्टिस अमित महाजन ने सुनवाई के दौरान कहा कि उनकी निजी राय में शहर के बीचों-बीच प्रदर्शन नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे आम लोगों को परेशानी होती है। उन्होंने कहा, "शहर को बंधक मत बनाइए, फैसला पुलिस को करने दीजिए।" याचिकाकर्ता ऑल इंडिया दलित क्रिश्चियन राइट्स प्रोटेक्शन कमेटी की ओर से वरिष्ठ वकील संजय घोष ने कहा कि संगठन सिर्फ 75 लोगों के साथ 10 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण धरना देना चाहता है।

चार दीवारी के मुख्य ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यहां के हेरिटेज स्वरूप के साथ छेड़छाड़ को स्वीकार नहीं किया जा सकता। जनहित याचिका में अधिवक्ता उमेश व्यास ने कहा कि चारदीवारी के चौड़ा रास्ता क्षेत्र में हेरिटेज स्वरूप के साथ छेड़छाड़ कर अवैध निर्माण किया गया है। इसके साथ ही, यहां आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां भी संचालित हो रही हैं। याचिका में कहा गया है कि निगम की ओर से अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन उसके बाद निर्माण हटाने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में राज्य सरकार और नगर निगम को निर्देश दिए जाएं कि वे हैरिटेज स्वरूप के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें।

लोकसभा ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भारत छोड़ो आंदोलन देश की एकता, अदम्य साहस तथा अन्याय के विरुद्ध सत्य और अहिंसा पर आधारित संघर्ष का अमर प्रतीक है। इसके बाद विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

क्या ऐसी टैक्नॉलजी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आरोप "झूठे, दुर्भावनापूर्ण और पूरी तरह मानहानिकारक" हैं तथा इनका उद्देश्य लोगों के बीच गलत धारणा बनाकर मंत्री की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है। इसमें यह भी बताया गया है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम और ई-20 ईंधन नीति का संचालन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय करता है, न कि गडकरी का मंत्रालय।

याचिका में यह भी कहा गया है कि इस मामले का उद्देश्य सरकार की नीतियों की निष्पक्ष आलोचना या सार्वजनिक बहस को रोकना नहीं है। लेकिन जानबूझकर गढ़े गए आरोप और एआई से बनाई गई फर्जी सामग्री अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आते और उन्हें मानहानि माना जाना चाहिए।

कोई मंत्री कब सदन में आये, विपक्ष तय नहीं कर सकता- रिजिजू

- राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी की मांग पर संसदीय कार्यमंत्री ने जवाब दिया।

नई दिल्ली, 07 अगस्त। राज्यसभा में शुक्रवार को केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी की मांग को लेकर विपक्ष के विरोध पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष यह तय नहीं कर सकता कि कोई मंत्री सदन में कब आएगा। रिजिजू ने स्पष्ट किया कि राज्यसभा के सभापति ने किसी मंत्री को सदन में मौजूद रहने का कोई निर्देश नहीं दिया है।

रिजिजू ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि गृह मंत्री अमित शाह सुबह से ही संसद में मौजूद रहते हैं। हालांकि, किसी मंत्री का सदन में आना उस समय के निर्धारित काम-काज पर निर्भर करता है।

भाजपा और अकाली ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

संगठनात्मक मजबूती, संसाधनों तक बेहतर पहुंच और राजनीतिक अलगाव से बाहर निकलने का रास्ता खोल सकती है। साथ ही, उसे पार्टी के भीतर गुटबाजी जैसी चुनौतियों से निपटने में भी मदद मिल सकती है। एक समय कई कार्यकाल तक पंजाब पर शासन करने वाला यह गठबंधन फिर से राज्य की राजनीति में केन्द्रीय भूमिका निभाने की स्थिति में आ सकता है।

लेकिन इस संभावित गठबंधन के कुछ नुकसान भी दिखाई दे रहे हैं। भाजपा को अपनी स्वतंत्र विकास रणनीति के कमज़ोर होने और उन वोटरों के दूर हो जाने का जोखिम है, जो बेअदबी की घटनाओं या पूर्व शासन से जुड़े विवादों के कारण शिरोमणि अकाली दल से दूरी बनाए हुए हैं। दूसरी ओर, एस.ए.डी. को अपने पारंपरिक समर्थकों (कोर बेस) से अवसरवाद के आरोपों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि किसान आंदोलन और कृषि कानूनों का मुद्दा अभी भी उनके लिए संवेदनशील है।

इसके अलावा, भाजपा के प्रभाव वाले गठबंधन में अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाए रखना भी शिरोमणि अकाली दल के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दोनों को विरोधियों की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। इसकी झलक आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की उस टिप्पणी में पहले ही दिखाई दे चुकी है, जिसमें उन्होंने अनिच्छुक प्रेमियों के मिलन के बारे में बॉलीवुड के एक गीत का उल्लेख करते हुए, तंज किया था।

दूसरी ओर अकेले चुनाव लड़ने की अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने को लेकर भाजपा का जो रूख दिख रहा है, उसके पीछे चुनावी गणित की व्यवहारिकता को एक कारण माना जा रहा है। अलग-अलग चुनाव लड़ने की स्थिति में दोनों पार्टियों के लिए आप और कांग्रेस विरोधी मतों का बंटवारा होने तथा राजनीतिक रूप से हाशिये पर रह जाने का खतरा बना रहेगा। पंजाब विधानसभा चुनाव नज़दीक है और कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक का फायदा उठाते हुए, आप के दबदबे को चुनौती देने की ज़रूरत है, ऐसे में फिर गठबंधन करना ही चुनावी मुकाबले में उतरने का जबसे स्पष्ट रास्ता है।

टर्की, सऊदी अरब और पाक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सऊदी अरब तथा उसके सैन्य और नागरिक ठिकानों पर हमले कर रहा है।

ईरान ने सऊदी अरब से बदला लेने के लिए उसपर हमले किए, क्योंकि उसने अमेरिकी सेनाओं को जगह दी और अपनी ज़मीन पर अमेरिकी एयरबेस बनाने की इजाज़त दी। अब एक बड़ा सवाल यह है कि क्या सऊदी अरब ईरान को शांत करने के लिए अपने यहां से अमेरिकी सैनिकों को बाहर करेगा?

भले ही अमेरिकियों को सऊदी अरब से बाहर निकाल दिया जाए, तो क्या ईरान उसके बाद सऊदी अरब पर हमले करना बंद कर देगा? सऊदी अरब कई वर्षों से हूती विद्रोहियों के हमलों का सामना कर रहा है। हूती विद्रोहियों को ईरान से धन और हथियार मिलते हैं। सऊदी अरब दशकों से हूती विद्रोहियों से लड़ रहा है, लेकिन उसे कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है।

अब सवाल यह है कि क्या इस त्रिपक्षीय रक्षा संधि के बाद क्षेत्र में चल रहे छद्म युद्ध बंद हो जाएंगे? जैसे, यमन के हूतियों की सऊदी अरब के साथ लड़ाई और उत्तर में ईराकी उग्रवादियों की गतिविधियाँ। क्या ईरान पूरे मध्य पूर्व में अपने समर्थक लड़ाकों को समर्थन देना बंद कर देगा?

आखिरकार, ईरान और खाड़ी के अरब देशों के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है। शिया बहुल ईरान और सुन्नी बहुल सऊदी अरब तथा अन्य अरब देशों के बीच यह संघर्ष ऐतिहासिक रहा है। दोनों पक्षों के बीच की दुश्मनी सदियों पुरानी है और बहुत गहरी मानी जाती है

क्या ईरान इस संधि की ताकत को परखने के लिए जानबूझकर सऊदी अरब पर हमला कर सकता है, ताकि यह देखा जा सके कि क्या तुर्किये और पाकिस्तान उसकी मदद के लिए आगे आते हैं? हालांकि तुर्किये के लिए यह त्रिपक्षीय नाटो जैसा समझौता थोड़ी दूर की बात है, लेकिन पाकिस्तान के लिए यह बहुत ही तत्काल महत्व का मामला है।

अगर सऊदी अरब और ईरान के बीच सीधा युद्ध होता है, तो क्या पाकिस्तान उसमें शामिल होगा? पाकिस्तान की ईरान के साथ लंबी सीमा लगती है और सीमा पर किसी भी तरह का तनाव उसके लिए कई तरह की मुश्किलें पैदा कर सकता है। ईरान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के अशांत प्रांतों, जैसे बलूचिस्तान और मौजूदा हालात में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) को भी अपना समर्थन दे सकता है।

भारत के लिए इस समझौते से ज़मीनी हकीकत शायद तुरंत न बदले। पाकिस्तान पहले से ही भारत का कट्टर दुश्मन है और तुर्किये लंबे समय से भारत की आलोचना करता रहा है। इस समझौते से ये बातें नहीं बदलतीं। हालांकि सऊदी अरब को भारत का मित्र माना जाता रहा है, लेकिन यह मान लेना उचित नहीं होगा कि वह हमेशा भारत का मजबूत समर्थक रहेगा।

अगर यह संधि प्रभावी रहती है और ईरान के खिलाफ सक्रिय रूप से काम करती है, तो भारत के सामने ईरान के साथ अपने संबंध और मजबूत करने का विकल्प हो सकता है। साथ ही, भारत को इज़रायल के साथ अपने अच्छे संबंधों और ईरान के साथ अपनी मित्रता के बीच संतुलन भी बनाए रखना होगा।

यदि इस संधि का सबसे अधिक नुकसान किसी को हो सकता है, तो वह अमेरिका की प्रतिष्ठा है। अब तक अमेरिका को मध्य पूर्व और अन्य क्षेत्रों में सुरक्षा देने वाले भरोसेमंद देश के रूप में देखा जाता था। हालांकि, यदि यह संधि ईरान के खिलाफ काम करती है और अमेरिका इसका समर्थन करता है, तो इससे उसे कुछ लाभ भी मिल सकता है।

लेकिन ऐसे रक्षा समझौते बढ़ने से अमेरिका के लिए धीरे-धीरे केवल एक दर्शक बनकर रह जाने का खतरा बढ़ रहा है। इसके अलावा, यह त्रिपक्षीय रक्षा संधि क्षेत्र के अन्य देशों, जैसे संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और कुवैत जैसे अन्य देशों को भी अलग-थलग कर सकती है।

फिर भी भारत को यह स्वीकार करना होगा कि एक तरह से "फेल स्टेट" (विफल देश) होने के बावजूद, पाकिस्तान ने पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में एक अलग तरह की कूटनीतिक पहचान हासिल कर ली है। लंबे समय में यह भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है।

'तनाव के बावजूद ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एंड फैसिलिटीज़) के तहत होता है। यह समझौता 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षरित हुआ था और 27 जनवरी 1991 से प्रभावी हुआ।

इस समझौते के अनुसार, दोनों देश प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी को अपने-अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची एक-दूसरे को उपलब्ध कराते हैं। इस सूची का आदान-प्रदान नई दिल्ली और इस्लामाबाद में राजनयिक माध्यमों से एक साथ किया जाता है। यह प्रक्रिया 1 जनवरी 1992 से लगातार जारी है। वर्ष 2026 में 1 जनवरी को इस सूची का लगातार 35वां आदान-प्रदान किया गया।

इसी प्रकार वर्ष 2008 के "कांसुलर एक्सेस समझौते" के तहत, दोनों देश वर्ष में दो बार, 1 जनवरी और 1 जुलाई, एक-दूसरे की हिरासत में मौजूद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूची साझा करते हैं। इसका उद्देश्य संबंधित कैदियों को कांसुलर सहायता उपलब्ध कराना और उनकी संभावित स्वदेश वापसी की प्रक्रिया को सुगम बनाना है।

भारत और पाकिस्तान के बीच बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण की अग्रिम सूचना देने की व्यवस्था भी लंबे समय से लागू है, तथा विश्वास-निर्माण उपायों का हिस्सा है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की गलतफहमी या सैन्य तनाव की आशंका को कम करना है।

ये सभी कार्यात्मक संपर्क ऐसे समय भी जारी हैं, जब अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के राजनीतिक और राजनयिक संबंधों में गंभीर तनाव बना हुआ है। इस हमले में 26 निर्दोष नागरिक, जिनमें अधिकांश हिंदू पर्यटक थे, मारे गए थे। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के भीतर स्थित सीमा पार आतंकवादी ठिकानों पर सटीक कार्रवाई की थी।

107 साल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कहना है कि बेदखली गैरकानूनी है और उसने अदालत से मान्यता रद्द करने तथा बेदखली के दोनों आदेश रद्द करने की मांग की है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908